

अधिकारी : नामयन्ता का कायालय
ग्रामीण : विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा।
Email Id.-serwddarbhanga@circle@gmail.com

प्रेषक

पत्रांक - १२२५ छल्ला

दिनांक - ३६-११-२०२१

संवाद में

इ० विश्ववासिनी बुमार
अद्वैतान डिपियन्ता

विषय:-

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रभंडल, दरभंगा-१

प्रश्नम् -

3054 FDR योजनान्तर्गत NIT- No.-3054-FDR/03/ET/2021-22 के तहत 1. PMGSY to Habibpur Indiranagar 2. Shiv Mandir to Lagma Pokhar 3. Bankipur to Balha Tower 4. Shiv mandir Chunni jha ke ghar to Dakshinwari Tola पथों में अस्थायी पुनर्स्थापन कार्य, (Tender ID-110325) के निविदा की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में।

आपका पत्रांक-1225 अनु०, दिनांक-12.06.2021 एवं
दिनांक-16.06.2021 को अचलस्तरीय निविदा समिति द्वारा लिया गया निर्णय।

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र से उपलब्ध कराये गये विषयाधीन कार्य के निविदा अभिलेख के आधार पर वित्तीय वीड में सफल योग्य न्यूनतम निविदाकार श्री चन्द्र मोहन सिंह, दरभंगा (वीड आई०डी०-465711) को उनके निविदित दर B.O.Q. दर से 0.01 प्रतिशत कम दर पर अद्यतन प्रचलित सभी करों सहित मो० 24,23,313=०० (चौबीस लाख तेरेस हजार तीन सौ तेरह) रुपया मात्र की लागत पर कार्य आवंटित कर घटनोत्तर स्वीकृत निविदा एवं तुलनात्मक विवरणी मूल में संलग्न कर आगे की कार्रवाई हेतु संलग्न किया जा रहा है।

2. निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिए है, जो भविष्य में पूर्वोदाहरण नहीं होगा। संवेदक से एक सप्ताह के अंदर एकरारनामा की कार्रवाई नियमानुसार सम्पन्न करें।
3. कार्यपालक अभियंता संवेदक के द्वारा एकरारनामा के लिए जमा की गई राशि एवं निविदा के साथ जमा किये गये संबंधित एन०एस०सी०/पासबुक आदि का सत्यापन संबंधित डाकघर से कराकर प्रमङ्गलीय कार्यालय में अभिलेखित करें एवं कार्यादिश निर्गत करने के पूर्व अग्रधन की राशि के सत्यापन से संबंधित कागजात अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
4. एकरारनामा के पूर्व निविदा सूचना के अनुसार सभी वांछित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा।
5. कार्यपालक अभियंता अग्रेत्तर कार्रवाई से पूर्व भली-भौति आश्वस्त हो लेंगे के पथ का हस्तांतरण हेतु विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया गया है।
6. कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है, कार्य कराते समय अगर इसमें कमी पाई जाती है तो उसके दर में सापेक्ष कमी कर दी जाएगी।
7. इस कार्य के संबंध में निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लेखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा, जिसे विशेष शर्त में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
8. अन्योदित किये गये तुलनात्मक विवरणी के प्रत्येक बिन्दु की जाँच अपने स्तर से स्वयं कर लेंगे एवं त्रुटि पार्य जाने की स्थिति में वस्तुस्थिति से तत्क्षण अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायें। त्रुटि के सुधारोपरांत ही एकरारनामा की कार्रवाई की जायेगी।
9. एकरारनामा के समय प्रत्येक मद के भाषा की शुद्धता की जाँच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेंगे एवं यह सुनिश्चित करें कि इसमें कोई त्रुटि न हो।
10. कार्यालय के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षोपरांत स्थल की स्थिति एवं प्राक्कलन में किये गये उपलब्ध सें पूरी तरह आश्वस्त हो लेंगे एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्रावैधिक स्वीकृति के अप्रसारण प्रारूप में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायें।
11. कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व संबंधित संवेदक से एकारारित अवधि के अंदर कार्य समाप्त करने हेतु विस्तृत कार्यालय कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर ही एकरारनामा करना सुनिश्चित करें।
12. कार्य में प्रयुक्त सामग्रियों के संदर्भ में नियमानुसार खनन विभाग से सत्यापन करने के प्रवाहत ही भूगत्तम की कार्रवाई करें।

Executive Engineer
B.W.D. Works Division
Darbhanga-1

13. कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कार्य मानक विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित अवधि के अंदर ही पूर्ण किया जाय। संपादित कार्य का गुणवत्ता जॉच प्रतिवेदन प्राप्त करने के पश्चात् ही भुगतान की कार्रवाई की जाय।
14. कार्य समाप्ति अवधि निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार होगी।
15. कार्यपालक अभियंता कार्य आवंटित किये गये संवेदक से एक सप्ताह के अंदर एकरारनामा करना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा उनके अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी।
16. कार्य का प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के सातवीं तारीख तक निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को समर्पित करेंगे।
17. सभी निविदा कागजात एवं तुलनात्मक विवरणी की मूल प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु लौटाई जाती है। आप निविदा कागजातों एवं तुलनात्मक विवरणी के जॉचोपरांत आवश्यक निदेशों को अपने स्तर से निर्गत करेंगे।
18. एकरारनामा के पूर्व निविदादाताओं द्वारा दिये गये कागजात का सत्यापन उनके मूल कागजात से मिलान कर लेंगे। साथ ही निदेश दिया जाता है कि संवेदक से वर्क प्रोग्राम तथा उनका कार्यक्षमता कुशलता एवं पूर्व से आवंटित कार्यों की प्रगति से संतुष्ट हो लें। संवेदक का नाम डिबार सूची में नहीं रहने के संदर्भ में अपने स्तर से संतुष्ट हो लेंगे।
19. इस निविदा की राशि में अगर कोई अंतर होता है तो इसकी सूचना तुरंत अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को दी जाय।
20. कार्यपालक अभियंता एकरारनामा के पूर्व संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या कार्यादेश में अंकित करेंगे तथा इस कार्यालय को सूचित करेंगे।
21. परिमाण विपत्र की दर से कम दर उद्धत करने वाले संवेदक से विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निर्देशों के आलोक में अतिरिक्त वांछित परफॉरमेंस सिक्युरिटी की राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
22. किसी भी परिस्थिति में निजी जमीन पर निर्माण नहीं कराया जाय।
23. कार्यपालक अभियंता संवेदक से खाली सीमेंट की बोरी एवं अलकतरा झ्रम की वसूली नियमानुसार सुनिश्चित करेंगे।
24. प्रत्येक 15 दिनों पर संवेदक से स्वहस्ताक्षरित विपत्र प्राप्त कर स्थल से मिलान कर मापी पुस्तिका में मापी दर्ज कर भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना देंगे।

अनु०:-यथोक्त।

Executive Engineer
R.W.D. Works Division
Dahanuka-I

विश्वासभाजन,
अधीक्षण अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा
N ३६॥८